कार्यालय नगर पालिक निगम बीरगांव, जिला – रायपुर (छ.ग.)

Office E-mail – birgaonmcp@gmail.com

क्रमांक / 622 / कोरोना / न.पा.नि. / 2020 बीरगांव, दिनांक 15 / 04 / 2020

प्रति,

संयुक्त संचालक,
संचा. नगरीय प्रशासन एवं विकास
छ.ग. नवा रायपुर, अटल नगर,
रायपुर (छ.ग.)

विषय :– माननीय उच्च न्यायालय का याचिका WO-.(PIL) 27/2020 सू मोटो विरूद्ध भारत सरकार व अन्य तथा 28, 29, 30 एवं 31 / 2020 तथा W.P. (C) No. 1026/2020

संदर्भ :– आपका पत्र क्रं. / संयु. / संचा. / 2020 / 2342 नवा रायपुर, अटल नगर, दिनांक 13.04.2020

––00––

उपरोक्त संदर्भ भारत सरकार के पत्र दिनांक 16.03.2020 एवं 17.03.2020 के संवंध में जारी दिशा निर्देशों के अनुरूप निगर पालिक निगम बीरगांव द्वारा किये गये कार्यो की जानकारी संलग्न प्रपत्र में तैयार कर आपकी ओर सादर प्रेषित है।

संलग्न :– उपरोक्तानुसार ।

आयुक्त
नगर पालिक निगम बीरगांव
जिला – रायपुर (छ.ग.)

पृ. क्रमांक / / कोरोना / न.पा.नि. / 2020 बीरगांव, दिनांक / / 2020

प्रतिलिपि :–

01. संयुक्त संचालक, क्षेत्रीय कार्यालय, नगरीय प्रशासन एवं विकास, रायपुर (छ.ग.) की ओर सादर सूचनार्थ।

आयुक्त
नगर पालिक निगम बीरगांव
जिला – रायपुर (छ.ग.)

Scanned with CamScanner

कार्यालय नगर पालिक निगम बीरगांव, जिला – रायपुर (छ.ग.)

Office E-mail – birgaonmcp@gmail.com

(COVID -19 के संबंध में माननीय उच्च न्यायालय में जवाब दावा प्रस्तुत करने हेतु जानकारी)

निकाय का नाम :– नगर पालिक निगम बीरगांव   जानकारी दिनांक 14.04.2020

क्रं.	कार्यवाही	वांछित कार्यवाही	कार्यवाही का विवरण
01	सरकारी भवनों के प्रवेश पर संभावित रूप से थर्मल, स्कैनर तथा अनिवार्य रूप से प्रवेश पर हैण्ड सैनिटाईजर का होना	हाँ	नगर पालिक निगम स्वामित्व के भवनों यथा कार्यालय भवन में दो स्थानों पर, 09 भोजन वितरण केन्द्रों में प्रत्येक केन्द्र में 01 स्थान पर व भोजन बनाने के स्थान में हाथ धोने के लिए वाश बेसिन की व्यवस्था, साबुन, लिक्विड, हैण्ड वाश व सेनिटाईजर की व्यवस्था की गई है।
02	जहां तक संभव हो मीटिंग्स को विडयों कॉन्फ्रेसिंग के माध्यम से किया जाना और जब तक आवश्यक ना हो बड़ी संख्या में लोगो के बैठकों को कम या पुननिर्धारित करना ।	हाँ	किसी भी प्रकार के बैठक का आयोजन लॉकडॉउन के दौरान नहीं किया जा रहां है।
03	सभी सरकारी भवनों में स्थित जिम/मनोरंजन केन्द्र /क्रेच आदि को बंद करवाना।	हाँ	सभी गार्डन, जिम, केन्द्र एवं मनोरंजन केन्द्र आदि को बंद करवा दिया गया है।
04	कार्यस्थल की उचित सफाई और लगातार सैनिटाईजेशन करना सुनिश्चित करें, विशेष रूप से अक्सर छुए जाने वाले सतहों की।	हाँ	कार्यस्थल जैसे कार्यालय भवन, मुख्यमंत्री वार्ड कार्यालय, भोजन बनाने वाला स्थल, भोजन वितरण केन्द्र, सभी अस्पताल, बाजार स्थल, पुलिस थाना, स्कूलों, धार्मिक स्थलों, बैंक, सामुदायिक सह – सार्वजनिक शौचालय, किराना दुकान, समाचार प्रकाशन केन्द्रों आदि स्थलों में छुए जाने वाले सतहों तथा आसपास को भी सैनिटाईज किया जा रहा है।
05	नियमित रूप से हैण्ड सैनिटाईजर, साबुन और शौचालयों में पानी की उपलब्धता की आपूर्ति सुनिश्चित करना।	हाँ	निगम क्षेत्रान्तर्गत सभी सामुदायिक सह–सार्वजनिक शौचालयों में पानी, लिक्विड हैण्ड वाश, साबुन, डामर गोली, पेपर नेपकिन, बाथरूम फ्रेशनर, फिनाईल, एसिड एवं सैनिटाईजर की, उपलब्धता सुनिश्चित की गई है।
06	ऐसे कर्मचारी जिन्हे अतिरिक्त सावधानी बरतने हेतु आवश्यकता है सेस वृद्ध कर्मचारी, गर्ववती कर्मचारी, तथा ऐसे कर्मचारी जो कि अंतार्निहित चिकित्सा स्थिति वाले है विभाग ऐसे कर्मचारियों को किसी भी फ्रांट जनता कार्य के लिए न रखें जिनमे सिधे संपर्क की आवश्यकता होती है।	हाँ	निकाय में ऐसे कर्मचारी जिन्हे अतिरिक्त सावधानी बरतने की आवश्यकता है अथवा गर्ववती कर्मचारी नहीं है।

आयुक्त
नगर पालिक निगम बीरगांव

Scanned with CamScanner